>

Title: Need to enhance the pension under Employees Pension Scheme (EPS)- 1995- Laid

श्री बी. बी. पाटील (जहीराबाद): मैं बताना चाहूँगा कि 30-35 वर्षों तक 417-1250 रूपये की मासिक राशि जमा करने के बाद ईपीस - 95 योजना के तहत पेंशनरों को केवल 2002500 रुपये की पेंशन मिलती है । जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, जमा राशि को भी 2008 से वापस नहीं किया जा रहा है । बार - बार अलग-अलग नियमों के कारण 1000 न्यूनतम पेंशन की घोषणा के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद भी 28 लाख पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन राशि से वंचित है ।

मैं निवेदन करता हूँ की ईपीस - 95 पेंशनरों को दी जाने वाली 7500 रू. मूल पेंशन दी जाये, इसके अलावा पेंशनर और परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए और बचे हुये ईपीस - 95 कर्मचरियों को भी शामिल किया जाए और 5000 रू. की पेंशन दी जाए ।